



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092021-229989
CG-DL-E-27092021-229989

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3646]
No. 3646]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

का.आ. 3980(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, १९५६ (१९५६ का ४८) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, के निर्माण के लिए आवश्यक है (सिक्स लेन आदि), राष्ट्रीय राजमार्ग - 5 का रखरखाव, प्रबंधन और संचालन, तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर जिले में किमी. 11.000 से किमी. 54.400 तक की भूमि में, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करता है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, उक्त भूमि के उपयोग पर धारा 3सी की उप-धारा (1) के तहत उक्त उद्देश्य के लिए आपत्ति कर सकता है। कहा अधिनियम।

ऐसी हर आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, विशेष जिला राजस्व अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, तिरुवल्लूर, तमिलनाडु को लिखित रूप में की जाएगी, जिसका कार्यालय नंबर 3/4, लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट, पेरियाकुप्पम, तिरुवल्लूर, तुलसी थिएटर के पास लिखित रूप में है और इसके आधार निर्धारित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की

जांच करने के बाद, यदि कोई हो, सक्षम के रूप में कर सकता है। प्राधिकरण आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा, आपत्तियों को या तो अनुमति देता है या अस्वीकार करता है।

उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

उनकी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की योजना और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त पते पर इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -5 के किमी. 11.000 से किमी. 54.400 (चेन्नई-टाडा खंड) तक भूमि के खंड के भीतर आने वाली संरचनाओं के साथ या बिना अधिग्रहित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: तिरुवल्लूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: गुम्मिडिपूंडी					
गांव का नाम: किल्मुदालम्बेदु-I					
1	94/16A1	निजी	वेट	200.0000000(वर्ग मीटर)	0.0200000
गांव का नाम: किल्मुदालम्बेदु-II					
1	268/11	निजी	ड्राई	40.0000000(वर्ग मीटर)	0.0040000
2	268/12A	निजी	मनाई	160.0000000(वर्ग मीटर)	0.0160000
3	268/9A2	निजी	ड्राई	50.0000000(वर्ग मीटर)	0.0050000
4	412/8F1A2	निजी	वेट	242.0000000(वर्ग मीटर)	0.0242000
5	412/8F1B2	निजी	वेट	17.0000000(वर्ग मीटर)	0.0017000
तालुक का नाम: पोन्नैरी					
गांव का नाम: चेम्बुलीवरम					
1	68/11B	निजी	ड्राई	110.0000000(वर्ग मीटर)	0.0110000
2	68/12	निजी	ड्राई	240.0000000(वर्ग मीटर)	0.0240000
गांव का नाम: जगन्नाथपुरम-I					
1	88/2A9B	निजी	ड्राई	70.0000000(वर्ग मीटर)	0.0070000
गांव का नाम: नल्लूर					
1	13/1C1A	निजी	ड्राई	1,265.0000000(वर्ग मीटर)	0.1265000

गांव का नाम: पंजेटी					
1	181/6	निजी	ड्राई	70.0000000(वर्ग मीटर)	0.0070000
कुल				2,464.0000	0.2464

[फा. सं. NHAI/11014/4/2000/Tech/GM(I-II)/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th September, 2021

S.O. 3980(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Six laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway - 5 in the stretch of land from Km. 11.000 to Km. 54.400 in the district of TIRUVALLUR in the state of TAMIL NADU, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special District Revenue Officer, National Highways, Tiruvallur, Tamil Nadu having his office at No. 3/4, Lal Bahadur Shastri Street, Periyakuppam, Tiruvallur, near Tulasi Theatre in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid address of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the additional lands to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 11.000 to Km. 54.400 (Chennai-Tada Section) of the National Highway-5 in the state of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU District: TIRUVALLUR					
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Gummidipoondi					
Village: Kiludalambedu –I					
1	94/16A1	Private	Wet	200.0000000(Square Meter)	0.0200000
Village: Kiludalambedu –II					
1	268/11	Private	Dry	40.0000000(Square Meter)	0.0040000
2	268/12A	Private	Manai	160.0000000(Square Meter)	0.0160000
3	268/9A2	Private	Dry	50.0000000(Square Meter)	0.0050000
4	412/8F1A2	Private	Wet	242.0000000(Square Meter)	0.0242000
5	412/8F1B2	Private	Wet	17.0000000(Square Meter)	0.0017000

Taluk: Ponneri					
Village: Chembulivaram					
1	68/11B	Private	Dry	110.0000000(Square Meter)	0.0110000
2	68/12	Private	Dry	240.0000000(Square Meter)	0.0240000
Village: Jagannathapuram-I					
1	88/2A9B	Private	Dry	70.0000000(Square Meter)	0.0070000
Village: Nallur					
1	13/1C1A	Private	Dry	1,265.0000000(Square Meter)	0.1265000
Village: Panjetty					
1	181/6	Private	Dry	70.0000000(Square Meter)	0.0070000
Total				2,464.0000	0.2464

[F. No. NHAI/11014/4/2000/Tech/GM(I-II)/3A]

RAJESH GUPTA, Director